अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर

हर्षवर्धन कुमार*

यह शोध पत्र अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के संघर्ष के बीच उनके बच्चों की शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को समझने के प्रयास का हिस्सा है। इस शोध अध्ययन में वैसे असंगठित कोयला मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा को केंद्र में रखा गया है, जिनकी आजीविका को राज्य तथा राज्य की विभिन्न संस्थाओं द्वारा अवैध के रूप में चिह्नित किया जाता है। इस शोध अध्ययन में इस बात को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है कि समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हाशिये पर मौजूद परिवारों के बच्चों के लिए चुनौतियाँ कहीं अधिक बढ़ जाती हैं जब उनके माता-पिता की आजीविका की पहचान अवैध अथवा एक गैर-कानूनी कार्य के रूप में की जाती है। इस शोध पत्र में ऐसे मज़दूरों के बच्चों के शैक्षिक अवसरों को समझने के लिए झारखंड के रामगढ़ ज़िले के कोयला खनन क्षेत्र के अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों एवं विद्यालयों के अवलोकन के माध्यम से वास्तविक परिस्थिति को चित्रित करने का प्रयास किया गया है।

पृष्ठभूमि

भारत में अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों की परिस्थितियों को समझने से पूर्व कोयला खनन से जुड़े प्रमुख तथ्यों के संबंध में चर्चा आवश्यक है। झारखंड अपनी समृद्ध खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, जिसमें राज्य में कोयले का प्रचुर भंडार भी शामिल है। कोयला मंत्रालय के आँकड़े यह बताते हैं कि देश में (01.04.2014 की स्थिति के अनुसार) कोयले के भंडार के मामले में झारखंड राज्य सर्वोपरि है।

भारत जैसे विकासशील देशों में आज भी खनिजों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला खनन अधिकांशतः मानव श्रम पर निर्भर करता है। असंगठित क्षेत्र के द्वारा किए जाने वाले खनन में तो मशीनों का उपयोग नगण्य है। सस्ती मज़दूरी दर के मज़दूरों का उपयोग न केवल लागत को कम करता है, अपितु निवेश की दृष्टि से अधिक लाभप्रद भी है। इसका मूल कारण खनन के अत्याधुनिक तरीकों के उपयोग में हुई प्रगति का अत्यन्त सीमित होना है। बेरोज़गारी की समस्या लगातार पहले से अधिक

**शोधार्थी*, सी-2/552, गली नं. 8, दूसरा पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली – 110 094

भयावह होती जा रही है। ऐसे में खदानों में काम करने के लिए मज़दूरों की कोई कमी नहीं है। कोयला खदानों में मज़दूरी को रोज़गार के एक विकल्प के रूप में देखने वाले लोगों के लिए यह बात परिस्थितियों को और मुश्किल बना देती है। कोयला खदानों के आस-पास के इलाकों में ऐसे कई परिवार हैं जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोयले के खनन से जुड़े रोज़गार पर निर्भर हैं। इनमें ही शामिल हैं वे मज़दूर जो खदानों से कोयला निकालकर स्थानीय बाज़ारों में बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कोयले को राष्ट्रीय संपदा घोषित किए जाने के कारण इस प्रकार किए जाने वाले खनन को अवैध कोयला खनन कहा जाता है।

झारखंड में वैध तथा अवैध कोयला खनन

कोयले के खनन के मामले में अनधिकृत खनन को अवैध खनन के रूप में पहचाना गया है तथा कई सरकारी तथा गैर-सरकारी दस्तावेज़ों में इसका उल्लेख भी मिलता है। देश में होने वाले खनिजों के अवैध खनन के उल्लेख के लिए किसी एक मानक शब्द का उपयोग नहीं होता है। कोयले के अवैध खनन के विषय में भी ऐसा ही है। इसके लिए अवैध खनन के अतिरिक्त गैर-कानूनी खनन, कोयले की चोरी तथा अनधिकृत खनन जैसे शब्दों का उपयोग किया जाना पाया गया है। उदाहरण के लिए, 'उज्ज्वल भारत के 3 वर्ष' शीर्षक से ऑनलाइन उपलब्ध पत्रिका में न केवल अवैध खनन का ज़िक्र किया गया है, अपितु अवैध अर्थात् गैर-कानूनी खनन रोकने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एम.एस.एस.) के विषय में भी बताया गया है।

झारखण्ड में भी अन्य राज्यों की तरह ही अवैध खनन के संबंध में जो आँकड़े उपलब्ध हैं, वे मूलतः अनुमानों पर आधारित हैं। यदि कार्य की प्रकृति के आधार पर वैध तथा अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के वर्गीकरण पर चर्चा की जाए तो यहाँ यह समझना भी ज़रूरी है कि वैसे तो सभी अवैध कोयला मज़दूर भी असंगठित कोयला मज़दूरों की श्रेणी में आते हैं, परंतु सभी असंगठित कोयला मज़दूर अवैध कोयला मज़दूर नहीं हैं। असंगठित कोयला मज़दूर कोयला माफिया के द्वारा भी काम पर लगाए गए हो सकते हैं और किसी बड़ी कम्पनी के लिए काम कर रही छोटी कम्पनी अथवा किसी कम्पनी के ठेकेदार के लिए काम कर रहे भी हो सकते हैं।

स्वरोज़गार के रूप में कोयला खनन कर बेचने वाले मज़दूरों के सामाजिक-आर्थिक तथा भौगोलिक पृष्ठभूमि में भिन्नता है। इस प्रकार से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों में ऐसे मज़दूर भी हैं जो पीढ़ियों से कोयला खदान वाले इलाकों में रह रहे हैं। वहीं, मज़दूरों का एक ऐसा वर्ग भी इन क्षेत्रों में रहकर कोयला निकालने और बेचने का कार्य कर रहा है जो पिछले कुछ वर्षों से इन क्षेत्रों में आकर बसा है। स्थानीय रूप से कोयला खदानों के निकट रहकर कोयला निकालकर बेचने वाले इन दो प्रकार के मज़दूरों के अतिरिक्त एक अन्य मज़दूर वर्ग भी है जो इन क्षेत्रों में नहीं रहता, परंतु अपनी आजीविका के लिए कोयले के अवैध खनन पर ही निर्भर है। ये मज़दूर विभिन्न स्थानों से अपनी साइकिल लेकर यहाँ की कोयला खदानों तक आते हैं और निकाले गए कोयले को अपनी साइकिल पर

लादकर, सड़क पर ठेलते हुए ले जाते हैं। इन्हें कुछ संदर्भ साहित्य में 'कोल साइकिल वालास्' अर्थात् 'साइकिल पर कोयला ले जाने वाले' भी कहा गया है (लहरी-दत्त, 2005, रानडॉल्फ, 2011. बांग और सिंह, 2013)। साइकिल पर ऐसे कई मन कोयला लादकर उसे धकेलते हुए मज़दूर झारखण्ड के लगभग सभी कोयला खनन क्षेत्रों के आस-पास के इलाकों में देखे जा सकते हैं।

खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों का विस्थापन और संघर्ष

'कोयला झारखंड का सबसे बड़ा खनिज उद्योग है। 1971 में राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयले का खनन निजी खान मालिकों के द्वारा अव्यवस्थित तरीके से किया जाता था। राष्ट्रीयकरण के बाद क्षेत्र का संपूर्ण कोयला उद्योग कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) तथा इसकी सहायक कंपनियों (टिस्को और इस्को के नियंत्रण वाली कुछ खदानों को छोड़कर) को सौंप दिया गया' (अरीपरंपिल, 1996, पृ. 1524)। यह एक ऐसा कदम था जिसने राज्य में कोयला खनन उद्योग को बदलकर रख दिया। देखा जाए तो कोयले का खनन बड़े पैमाने पर प्रारंभ होने से आस-पास के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लहरी-दत्त (1997) यह तथ्य सामने लाती हैं कि 'रानीगंज में कोयले के अत्यधिक खनन ने न केवल समुदायों को विस्थापित किया, बल्कि स्थानीय लोगों की जीवन शैली को भी प्रभावित किया।' उन्होंने पर्यावरण पर खनन के अपघटनकारी प्रभावों की ओर संसार भर के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित होने के बावजूद, इन क्षेत्रों के समुदायों तथा अर्थव्यवस्थाओं पर खनन के प्रभावों के उनके द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने का भी उल्लेख किया।

इस प्रभाव से कोयला खदानों में रोज़गार पाने वाले तथा इससे वंचित रह जाने वाले, सभी के जीवन में बदलाव आए। मगर जिन्हें खदानों में कोई काम नहीं मिल पाया और जिनके रोज़गार के पारंपरिक साधनों पर खनन के विस्तार ने नकारात्मक प्रभाव डाला, उनके लिए विस्थापन अथवा वहीं रहकर अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष करना, ये दो ही विकल्प थे। ऐसे में उन्होंने वहीं रहकर अपने अधिकार क्षेत्र की ज़मीन के नीचे के कोयले का अवैध खनन कर उसे बेचना आरंभ किया। ऐसे ही सैकड़ों परिवार, वर्षों से इन इलाकों में रहकर अपने अस्तित्व के संघर्ष को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। परंतु यह विकल्प भी बहुत चुनौतीपूर्ण है।

बिना प्रशिक्षण तथा उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के कोयला खदानों के भीतर जाकर कोयला निकालना हर बार जीवन को जोखिम में डालने वाला होता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है तथा दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अवैध खनन के दौरान होने वाली कोयला खदान दुर्घटनाओं के संबंध में कई बार मीडिया द्वारा खबरें प्रकाशित भी होती हैं। ऐसी ही एक खबर में झारखंड के गिरिडीह ज़िले में अवैध कोयला खदान के धँसने से पाँच लोगों की मृत्यु हो जाने तथा 20 अन्य के घायल होने का दावा किया गया (कुमार, 2017)। रानडॉल्फ (2011)

अवैध कोयला खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं तथा उनमें होने वाली मौतों के विषय में यह दावा करते हैं कि 'जब ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं, स्थानीय लोग लाश को लेकर भाग जाते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की छानबीन न की जा सके।' अख्तर (2017) यह बताते हैं कि 'कई अवसरों पर, अवैध खदानों में मौतें बिना दर्ज हुए रह जाती हैं।'

यह सहज ही समझा जा सकता है कि उनके पास अन्य विकल्प कितने सीमित तथा अपर्याप्त रहे होंगे। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों में घिरे लोग वे ही होंगे जो उन क्षेत्रों में रहने वाले वंचित तबकों के होंगे।

यह शोध पत्र ऐसे ही अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों के विषय में पड़ताल करता है जो इन कोयला खनन क्षेत्रों में पिछले कई दशकों से रह रहे हैं तथा वर्तमान में आजीविका के लिए कोयले के अवैध खनन पर निर्भर हैं।

शोध प्रक्रिया

इस शोध अध्ययन के लिए सर्वप्रथम कोयला खनन क्षेत्रों तथा आस-पास की बस्तियों में जाकर ऐसे कोयला मज़दूरों का पता लगाया गया जो कोयले के अवैध खनन द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। इसके बाद उन कोयला मज़दूरों से अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से उन विद्यालयों के बारे में पता लगाया गया, जहाँ उनके बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद उस क्षेत्र में मौजूद दो राजकीकृत उत्क्रमित (अद्यनीकृत) मध्य विद्यालयों का चयन इस शोध के लिए किया गया। दोनों विद्यालयों के शिक्षकों से हुई समूह चर्चाओं से यह स्पष्ट हुआ कि इन दोनों विद्यालयों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों के माता-पिता अवैध कोयला मज़दूर के रूप में कार्य करते हैं। सर्वप्रथम इन दोनों विद्यालयों की आधारभूत संरचना तथा नामांकन आदि से संबंधित सूचनाओं को एकत्र किया गया। इसके बाद पुनः दोनों विद्यालयों के शिक्षकों तथा विद्यालय में नामांकित कोयला मज़दूरों के बच्चों के साथ शोधक द्वारा तैयार की गई असंरचित साक्षात्कार प्रश्नावली के आधार पर विस्तृत बातचीत की गई। सभी प्रक्रियाओं को निम्नलिखित प्रश्नों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया —

- कोयले का अवैध खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चे जिन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?
- उपलब्ध शैक्षिक अवसर कोयले का अवैध खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के शैक्षिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कितने तैयार हैं?
- कोयले का अवैध खनन करने वाले मज़दूरों की अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में क्या अपेक्षाएँ हैं?
- कोयले का अवैध खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों की अपनी शिक्षा से जुड़ी क्या आकांक्षाएँ हैं?

चयनित दोनों विद्यालय एक ही संकुल का अंग हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दोनों विद्यालयों से जुड़े संसाधन सेवी से भी असंरचित साक्षात्कार प्रश्नावली के आधार पर चर्चा की गई।

अवैध कोयला खनन से जुड़े परिवारों के बच्चे

सर्वप्रथम यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि क्या अवैध कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के काम की प्रकृति का उनके बच्चों के जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? क्या उनके वर्तमान तथा भविष्य को बेहतर बनाए जाने के अवसरों को सुरक्षित करने के दायित्व के प्रति विद्यालय जैसी संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है?

यद्यपि शिक्षा की सीमाओं तथा क्षमताओं पर विवाद संभव है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि शिक्षा हमारे जीवन को कई सकारात्मक अर्थों में प्रभावित करती है। यह संभावनाओं के नए द्वार अवश्य खोलती है। यह कहा जा सकता है कि शिक्षा एक व्यक्ति को 'जीने तथा वातावरण के साथ सामंजस्य के लिए तैयार और विकसित करती है जिससे कि वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सफलतापूर्वक जी सके।' (रवि, 2016, पृ. 3)

ऐसे ही वर्ग भेद से हर व्यक्ति के जीवन के प्रभावित होने को भी वास्तविक माना गया है। समाज में हाशिये पर मौजूद लोगों के लिए संसाधनों तथा अवसरों तक पहुँच अन्य वर्गों की तुलना में कठिन होती है। यह वक्तव्य शिक्षा के अवसरों के लिए भी अपवाद नहीं है। ऐसे में कोयला मज़दूरों के जीवन के आर्थिक-सामाजिक ताने-बाने को समझकर ही उन परिस्थितियों को समझा जा सकता है, जिसके बीच उनके परिवार के सदस्य प्रतिदिन के संघर्ष के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले अवसरों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं।

वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा

सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो विभिन्न परिवारों के लिए वंचना के कारण भिन्न हो सकते हैं। कोई परिवार आर्थिक आधार पर वंचित हो सकता है तो कोई सामाजिक आधार पर। परंतु यह देखा गया है कि अकसर वंचित परिवार की स्थितियों के लिए आर्थिक, सामाजिक आदि सभी आधारों की मिली-जुली भूमिका होती है। वंचना से जुड़ी उनकी यह स्थिति, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के मार्ग में एक बड़े अवरोध के रूप में उपस्थित होती है। आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए भोजन, आवास जैसी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे परिवारों में वयस्कों के प्रयासों का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य होता है स्वयं तथा परिवार के अस्तित्व को बचाए रखना। ऐसे में उनके लिए परिवार के बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसकी शुरुआत वे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने से करते हैं। शिक्षा के अवसरों से जुड़े कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर उन विद्यालयों तक ही पहुँचकर मिलेगा जिनमें वंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों को शिक्षा मिल सकती है।

अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा

वंचित परिवारों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी उपरोक्त चर्चा अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा के संबंध में भी प्रासंगिक है। परंतु अवैध रूप से कोयला खनन

करने वाले मज़दूरों के परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से चर्चा करने के पूर्व हमें अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के जीवन के विषय में अपनी समझ को अन्य वंचित परिवारों के साथ तुलनात्मक रूप से समानता एवं विशिष्टता के आधार पर देखना होगा। अध्याय में पहले ही उनके जीवन को कहीं अधिक गहराई से जानने के उद्देश्य से विस्तृत चर्चाओं को स्थान दिया गया है। यहाँ उनकी सामाजिक परिस्थिति से जुड़े ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर तलाशना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी परिवार की स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव परिवार के बच्चों पर पड़ता है।

विद्यालय शैक्षिक अवसरों को एक आधार प्रदान करता है। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि कैसे कोई विद्यालय विशेष अपने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में कार्य करता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी विद्यालय व्यवस्था से हमारी कुछ सामान्य अपेक्षाएँ तो अवश्य होती हैं। ये अपेक्षाएँ अधिगमकर्ता को एक बेहतर भविष्य के प्रति आश्वस्त करने से संबंधित हैं।

यदि किसी विशेष पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए कोई विशेष विद्यालय कार्य कर रहा हो, तब वह परिस्थिति भिन्न हो सकती है, परंतु एक सामान्य विद्यालय में किसी विशेष पृष्ठभूमि के बच्चे नामांकित हों तो यह देखना आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय की प्रक्रियाओं में उन विशेष पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या संभावनाएँ हैं। कोलमैन (1991) विद्यालय द्वारा अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अलग प्रकार की गतिविधियों के किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। अवसर की समानता स्थापित करने के संबंध में उनका तर्क यह है कि 'उन्हें (विद्यालयों को) अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अवश्य ही चीज़ें करनी चाहिए। इसका आशय यह है कि विद्यालय की शिक्षा के माध्यम से अवसर की समानता लाने के लिए इन परिस्थितियों में अलग-अलग शैक्षिक नीतियों की आवश्यकता है। यह कार्य उससे कहीं कम सरल है जितना की यह प्रतीत होता है, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि जितने प्रकार से भिन्न होती है, वह समग्र रूप से सरल नहीं है।'

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उन विद्यालयों को बेहतर ढंग से जानने और समझने का प्रयास करें, जो अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट है कि ये ऐसे विद्यालय नहीं हैं जो कि, कोयला मज़दूरों के बच्चों के लिए ही बनाए गए हों, बल्कि ये उन क्षेत्रों में मौजूद विद्यालय हैं, जहाँ कोयला मज़दूरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। इन विद्यालयों के संबंध में सूचनाएँ प्राप्त कर तथा अवलोकन आदि के माध्यम से पता लगाना भी ज़रूरी है कि इन विद्यालयों की वर्तमान स्थिति कैसी है तथा इन विद्यालयों में उपलब्ध तथा अनुपलब्ध आवश्यक संसाधन कौन-कौन से हैं? निस्संदेह यह चर्चा केवल भौतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसका विस्तार विद्यालय के भौतिक संसाधनों से लेकर विद्यालय से जुड़े मानव संसाधन तक है।

यद्यपि इस शोध के संबंध में परिवार के बाहर की जिस संस्था को प्रमुखता दी गई है, वह है विद्यालय। यह कहा जा सकता है कि शोध में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हुए यह स्पष्टता होनी आवश्यक है। यहाँ विद्यालय की भूमिका को केवल बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के साथ जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में विद्यालय को एक ऐसी संस्था के रूप में देखा जा रहा है, जो बच्चों के वर्तमान तथा भविष्य को प्रभावित करने में परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। नतीजतन, परिवार अथवा बाहरी संस्थाओं पर दोषारोपण के आधार ढूँढ़ने की प्रवृति न रखते हुए उनकी भूमिका, चुनौतियों तथा सीमाओं को समझने का प्रयास किया गया।

शोध के लिए चयनित दोनों ही विद्यालय राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय थे। दोनों ही विद्यालयों में के.जी. से लेकर आठवीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध है। यहाँ दोनों ही विद्यालयों से जुड़े प्रमुख प्रासंगिक तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

विद्यालय संख्या 1 — संबंधित प्रमुख तथ्य

विद्यालय वर्ष 2009 में उत्क्रमित (अद्यतनीकृत) हुआ तथा वर्ष 2017 के सत्र के आरंभ से विद्यालय में के.जी. की कक्षा का संचालन प्रारंभ हुआ। स्वीकृत पदों के अनुसार विद्यालय में कुल 2 नियमित शिक्षक तथा 2 पारा शिक्षक होने चाहिए थे। इसके अनुसार वर्तमान में विद्यालय में सभी स्वीकृत पदों पर शिक्षक हैं। विद्यालय में कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 191 है। इसमें से छात्रों की कुल संख्या 79 तथा छात्राओं की कुल संख्या 112 है। यह संख्या कुल 9 कक्षाओं के नामांकित विद्यार्थियों की है। कक्षावार नामांकन का ब्यौरा इस प्रकार है —

कक्षा	छात्र	छात्रा	कुल संख्या
के.जी.	06	02	08
I	01	02	03
II	02	13	15
III	08	16	24
IV	06	10	16
V	06	08	14
VI	23	22	45
VII	16	17	33
VIII	11	22	33
कुल योग	79	112	191

विद्यालय में अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के हैं। बच्चों के माता-पिता के व्यवसाय की पृष्ठभूमि के आधार पर बात करें तो लगभग 75 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता अवैध कोयला निकासी का काम करते थे। उनका काम कई प्रकार से विद्यालय के लिए चुनौतियाँ उपस्थित करता है। कभी कोयला निकासी पर प्रतिबंध लगने पर कई कोयला मज़दूर काम के लिए दूसरी जगह भी चले जाते हैं। कभी वे अपने स्थायी आवास पर भी चले जाते हैं। यह प्रवास कई बार छह महीने का भी होता है। उनके साथ उनके बच्चे भी चले जाते हैं। वापस आने पर उनका पुनर्नामांकन तो होता है, लेकिन वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कुछ मामलों में वे वहीं नामांकन भी करा लेते हैं, जिसके लिए विद्यालय उन्हें टी.सी. (स्थांतरण प्रमाण पत्र) देते हैं। विद्यालय में ऐसे लगभग अनियमित बच्चे 15 से 20 प्रतिशत थे।

वैसे तो एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा भी विद्यालय को पढ़ाई के संबंध में सहयोग किया जाता था, परंतु यह कक्षा 1–2 के लिए ही था। विद्यालय का भवन अलग-अलग खण्डों में बना है, जिसमें से एक खण्ड दो-मंज़िला है। इस भवन के प्रत्येक तल पर दो कक्षा-कक्ष हैं। एक भवन निर्माणाधीन है, जबकि एक अन्य कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाता है। परंतु कक्षाओं की दृष्टि से भी विद्यालय का आधारभूत ढाँचा पर्याप्त नहीं है। 9 कक्षाओं के लिए कुल 6 कक्षा-कक्ष हैं। ऐसे में कक्षा के.जी., कक्षा 1 तथा कक्षा 2 के बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है तथा कक्षा 3 और कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक साथ।

विद्यालय संख्या 2 — संबंधित प्रमुख तथ्य

विद्यालय संख्या दो में प्रधानाध्यापक के पद पर नियमित शिक्षक हैं तथा उनके अतिरिक्त विद्यालय में कुल 3 पारा शिक्षक हैं। जबकि स्वीकृत पदों के अनुसार विद्यालय में कुल 2 नियमित शिक्षक तथा 4 पारा शिक्षक होने चाहिए थे। शिक्षकों की वर्तमान संख्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है। शिक्षकों के अतिरिक्त सृजन फ़ाउंडेशन नामक गैर-सरकारी संगठन भी एक साधनसेवी विद्यालय के साथ कार्यरत हैं, परंतु उनकी उपस्थिति नियमित नहीं है। विद्यालय वर्ष 2009 में उत्क्रमित (अद्यतनीकृत) हुआ तथा वर्ष 2017 के सत्र के आरंभ से विद्यालय में के.जी. की कक्षा का संचालन प्रारंभ हुआ।

विद्यालय के भवन अलग-अलग खण्डों में बने हुए हैं तथा उनका निर्माण अलग-अलग समय में किया गया है। सभी भवन एक मंज़िले हैं। कुल मिलाकर विद्यालय में कुल 5 कक्षा-कक्ष, एक कार्यालय, एक भंडार कक्ष, एक रसोई तथा एक पुस्तकालय है। प्रांगण में एक बड़े कमरे के भवन का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसे कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। विद्यालय में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं, परंतु उनमें उपयोग के लिए पानी बाहर से लेकर जाना पड़ता है। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में नामांकन की जानकारी तालिका 2 में दी गई है।

तालिका 2 — कक्षावार नामांकित विद्यार्थियों की संख्या

कक्षा	छात्र	छात्रा	कुल संख्या
के.जी.	06	05	11
I	03	02	05
II	01	09	10
III	03	08	11
IV	07	07	14
V	07	05	12
VI	17	14	31
VII	17	11	28
VIII	07	12	19
कुल योग	68	73	141

विद्यालय में अधिकांश बच्चे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के थे। उसमें भी मूल रूप से सभी विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति के थे। बच्चों के माता-पिता के व्यवसाय की पृष्ठभूमि के आधार पर बात करें तो समूह चर्चा के दौरान शिक्षकों ने बताया कि लगभग 98 प्रतिशत बच्चों के माता-पिता अवैध कोयला निकासी का काम करते हैं। वहीं, एक अन्य शिक्षक ने इस संख्या को 80 प्रतिशत बताया।

चयनित विद्यालयों में शैक्षिक परिस्थितियाँ एवं शिक्षक

चयनित दोनों विद्यालयों के शिक्षकों के साथ कई दौर की अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से जो तथ्य सामने आए, वे इस प्रकार हैं —

बच्चों की पृष्ठभूमि

दोनों विद्यालयों के सभी शिक्षकों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि उनके विद्यालय में नामांकित अधिकांश बच्चों के माता-पिता की आजीविका अवैध कोयला खनन पर निर्भर है। सभी शिक्षकों ने चर्चाओं के दौरान यह बताया कि विद्यालय में नामांकित अधिकांश बच्चों के माता-पिता अवैध कोयला खनिक हैं। यद्यपि उनके उत्तरों में ऐसे बच्चों की कुल संख्या को लेकर भिन्नता थी। शिक्षकों के मतानुसार उनके विद्यालय में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 70 से लेकर 98 तक है। सभी शिक्षक यह मानते हैं कि अपनी आजीविका के कारण अवैध कोयला मज़दूर अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कोई विशेष योगदान नहीं दे पाते। इस संबंध में माता-पिता का निरक्षर अथवा साक्षर होने का भी कोई प्रभाव नहीं होता। शिक्षक यह मानते हैं कि अवैध कोयला मज़दूर अपने बच्चों की शिक्षा अथवा प्रगति को जानने के लिए समय ही नहीं दे पाते। वे बच्चों की शिक्षा के संबंध में विद्यालय से ही सारी अपेक्षाएँ रखते हैं। शिक्षकों ने यह बताया कि वैसे तो कई अभिभावक बार-बार बुलाने पर भी विद्यालय नहीं आते और जो भी माता-पिता विद्यालय आते हैं, उन्हें भी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखने के लिए कहना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। पढ़ाई में मदद देना तो दूर, वे कई बार तो अपने बच्चों को भी अपने कोयले के काम में मदद करने के लिए ले जाते हैं। ऐसे में कई बच्चे उम्र के साथ-साथ उस काम में अधिक शामिल होने लगते हैं और अंततः उसे ही आजीविका के रूप में अपना लेते हैं।

अध्यापन संबंधी चुनौतियाँ

दोनों ही विद्यालयों में नौ कक्षाओं का संचालन होता था जबकि दोनों ही विद्यालयों में कुल चार-चार शिक्षकों की ही नियुक्ति है। ऐसे में बहुकक्षीय शिक्षण का अपनाया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। शिक्षकों द्वारा यह बताया गया कि शिक्षकों की कमी की समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। प्रधानाध्यापक को कई विभागीय कार्यों का संपादन करना होता है। अतः अध्यापन के लिए उनकी उपलब्धता अकसर एक से दो पाली तक सीमित रहती है। अन्य शिक्षक भी केवल कक्षाओं में अध्यापन के लिए पूरा समय नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से कई विभागीय कार्यों का संपादन भी करना होता है जिसमें उपस्थित बच्चों की संख्या आदि से संबंधित सूचना विभाग को भेजा जाना शामिल है। जब किसी शिक्षक को विभागीय प्रशिक्षण के लिए अथवा विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता आदि में भाग लेने के लिए साथ लेकर जाना होता है, तब विद्यालय में, कक्षाओं का संचालन और भी कठिन हो जाता है। यही स्थिति किसी शिक्षक के अवकाश पर होने पर भी होती है। एक शिक्षक एक साथ कई कक्षाओं में अध्यापन कर रहा होता है। वह एक कक्षा को काम देकर दूसरी कक्षा में जाता

है। ऐसी स्थिति में निश्चय ही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में यदि विद्यार्थियों को घर पर भी माता-पिता से पढ़ाई में किसी प्रकार से सहायता नहीं मिल पा रही हो तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस प्रकार से अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए विद्यालय के भीतर और बाहर, दोनों ही स्थानों पर शैक्षिक परिवेश चुनौतीपूर्ण है।

व्यवस्था संबंधी चुनौतियाँ

दोनों चयनित विद्यालयों में शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक संख्या नहीं है। इसके अतिरिक्त विद्यालय भवन में पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्ष भी नहीं हैं। एक ओर, सभी शिक्षकों पर विभागीय कार्यों का अतिरिक्त भार है। वहीं दूसरी ओर, इन विद्यालयों के वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति पारा-शिक्षक के रूप में हुई है, वे अपने नियमित किए जाने को लेकर किए जाने वाले संघर्ष में शामिल हैं। ऐसे में पारा शिक्षकों का यह मानना है कि यदि वर्षों की सेवा के बाद भी उनके कार्यभार में नियमित शिक्षकों की तुलना में कोई कमी नहीं होने के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है तो यह उनके लिए निराश करने वाली स्थिति है। समान कार्य के लिए असमान वेतन एवं सेवा शर्तों के बीच वे लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान नहीं दे पाते। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं के वितरण में भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से शिक्षकों को कार्य करना पड़ता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के कारण शिक्षण प्रक्रियाएँ प्रभावित न हों।

बच्चों की शिक्षा के संबंध में माता-पिता की भूमिका

सभी शिक्षक यह मानते हैं कि अवैध कोयला मज़दूर अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। इसके पीछे उनकी निरक्षरता एक बड़ा कारण है, परंतु जो माता-पिता थोड़ा पढ़े-लिखे भी हैं, उनके पास भी अपने काम से इतना समय नहीं बचता कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकें। वे देर रात कोयला काटने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं और तब वापस आते हैं, जब उनके बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं। अवैध कोयले का काम करने वाले अधिकांश मज़दूर शराब पीते हैं और इसलिए जब वे घर पर होते भी हैं, तब भी बच्चों की शिक्षा में कोई योगदान नहीं दे पाते। वे शराब पीने के पीछे अपने काम को अत्यधिक मेहनत वाला काम बताते हैं। परंतु इससे उनके बच्चों की शिक्षा पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसे तो विद्यालय दूर नहीं कर सकता। समूह चर्चाओं के दौरान शिक्षकों ने यह भी कहा कि अभिभावक-शिक्षक बैठकों में बुलाने पर भी अधिकांश माता-पिता विद्यालय नहीं आते, क्योंकि उस दौरान वे कोयले का काम कर रहे होते हैं। विद्यालय आने की स्थिति में भी वे बैठक की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते। वे बस शिक्षकों की हर बात पर हामी भरते हैं। दो में से एक विद्यालय के शिक्षकों ने यह बताया कि हर लम्बे अवकाश के बाद विद्यालय में उपस्थिति कम हो जाती है। शिक्षक स्वयं तथा अन्य विद्यार्थियों

द्वारा सूचना भिजवाकर नहीं आने वाले बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। कोयले का काम करने वाले मज़दूरों को इस विषय में भी ध्यान नहीं होता कि बच्चों का विद्यालय कब खुला है और कब बन्द। ऐसे में यह स्पष्ट है कि माता-पिता की जानकारी और सक्रिय सहभागिता का अभाव उनके बच्चों के शैक्षिक अवसरों को भी सीमित कर देता है।

संकुल संसाधन सेवी के अनुसार चयनित विद्यालयों की चुनौतियाँ

चयनित दोनों ही विद्यालय एक ही संकुल के अंतर्गत आते हैं। इन विद्यालयों से जुड़े संकुल संसाधन सेवी से प्राप्त जानकारियों से संकुल के विद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाने का एक आधार प्राप्त होता है। शोध के लिए चयनित दो विद्यालय जिस संकुल का हिस्सा हैं उसमें विद्यालयों की कुल संख्या 14 है। उन्होंने बताया कि संकुल के किसी भी विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के अनुसार शिक्षकों की पूरी संख्या नहीं है। यह स्थिति शिक्षकों के काम को मुश्किल बना देती है या यह कहें कि ऐसे में विद्यालयों से बहुत अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा करने का कुछ खास मतलब नहीं निकलता है। इसी संदर्भ में आगे चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में लगभग 1100 विद्यार्थी हैं जिसमें से लगभग 90 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से होंगे। इस संख्या में से लगभग 95 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माता-पिता असंगठित मज़दूरों के रूप में कार्य करते हैं, जिसमें अवैध कोयला मज़दूर के रूप में काम करने वाले भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लगभग दो से तीन प्रतिशत अभिभावक किसान हैं। यह बताते हुए उन्होंने दावा किया कि ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे सरकारी विद्यालयों की तैयारी पूरी नहीं है। सरकारी विद्यालयों, जिनमें कि प्रदर्शन अच्छा नहीं है, की वर्तमान स्थिति की बात करते हुए उन्होंने उसके दो प्रमुख कारण बताए। ये दो कारण हैं — माता-पिता का अशिक्षित होना तथा सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या का होना।

कोयले का अवैध खनन करने वाले कोयला मज़दूरों की अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में अपेक्षाएँ

इस शोध के लिए जिन 14 कोयला मज़दूरों के साथ चर्चाएँ की गईं, उनमें से कुल नौ मज़दूर निरक्षर हैं। दो मज़दूरों ने कक्षा 6 में और तीन मज़दूरों ने कक्षा 9 में पढ़ाई छोड़ी थी। इस प्रकार से देखा जाए तो चयनित प्रतिभागियों में से अधिकांश निरक्षर हैं। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि वे बच्चों के लिए शिक्षा तथा विद्यालय की भूमिका के विषय में क्या सोच रखते होंगे।

जब कोयला मज़दूरों से उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रश्न किए गए तो सभी ने शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया और सभी अपने बच्चों को शिक्षित करने के पक्षधर थे। परंतु अधिकांश प्रतिभागियों को यह जानकारी नहीं थी कि कौन-सी

अथवा कितनी शिक्षा उनके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। कुल चार प्रतिभागियों ने बच्चों के लिए कॉलेज की शिक्षा, जैसे कि आई.ए. (इन्टरमीडिएट ऑफ़ आर्ट्स-बी.ए. (बैचलर ऑफ़ आर्ट्स) का होना ज़रूरी बताया। कुछ प्रतिभागियों ने यह उम्मीद जताई कि बच्चे जब पढ़-लिख जाएँगे तो वे स्वयं यह जान पाएँगे कि कौन-सी अथवा कितनी पढ़ाई उनके लिए ठीक होगी। दो प्रतिभागियों ने यह कहा कि सरकार को स्कूल की शिक्षा की तरह ही कॉलेज की शिक्षा भी निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए जिससे गरीबों के बच्चे भी आगे की पढ़ाई कर सकें।

कोयले का अवैध खनन करने वाले कोयला मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी आकांक्षाएँ

इस शोध हेतु चयनित न्यादर्श में से 20 विद्यार्थियों से शोधक द्वारा चर्चा की गई। इन 20 विद्यार्थियों ने यह कहा कि उन्हें विद्यालय आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ उन्हें शिक्षा प्राप्त हो रही है। अधिकांश विद्यार्थियों ने अपने विद्यालय में शिक्षकों की संख्या में कमी होने के कारण उनकी पढ़ाई के प्रभावित होने का उल्लेख किया। जिस चयनित विद्यालय की चहारदीवारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौड़ीकरण के दौरान टूट गई थी और अब तक बनाई नहीं गई है, उसके 10 में से आठ विद्यार्थियों ने विद्यालय की चहारदीवारी बनाए जाने की आवश्यकता बताई। वहीं, जब विद्यार्थियों से इस बात पर चर्चा की गई कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं तो निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुए —

रेलवे में ड्राइवर	02
फौज में नौकरी	03
डॉक्टर	03
इंजीनियर	01
डॉक्टर अथवा इंजीनियर	01
फुटबॉलर	03
क्लेक्टर	01
टीचर	01
बैंक मैनेजर	01
पुलिस में नौकरी	02
नौकरी नहीं करनी	01
अभी नहीं सोचा है	01

उपरोक्त में से किसी भी विद्यार्थी को यह मालूम नहीं था कि जो वे बनना चाहते हैं, उसके लिए कौन-सी डिग्री की आवश्यकता होगी अथवा कहाँ तक पढ़ना होगा। एक विद्यार्थी को छोड़कर अन्य सभी ने अपने माता-पिता द्वारा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किए जाने का उल्लेख किया।

भविष्य से जुड़े सपने के बारे में विद्यार्थियों द्वारा बताए गए उत्तर में कार्य संबंधी जेंडर विभेदीकरण नहीं दिखा। लड़कों और लड़कियों, दोनों ने फौजी, डॉक्टर तथा फुटबॉलर बनने को अपना सपना बताया। केवल एक छात्रा ने कहा कि वह कोई नौकरी नहीं करेगी, क्योंकि उसके आस-पड़ोस में लड़कियों का नौकरी करना अच्छा नहीं माना जाता। एक विद्यार्थी ने यह कहा कि यदि उसे पुलिस में नौकरी नहीं मिली तो मजबूरी में वह भी अपने माता-पिता की तरह ही कोयले के खनन का कार्य करेगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कहीं-न-कहीं विद्यालय में नामांकित लगभग हर ऐसे विद्यार्थी, जिसके माता-पिता कोयले के अवैध खनन का कार्य

करते हैं, का अपने भविष्य को लेकर देखा गया सपना उनके शिक्षित होने से जुड़ा है और वे आशान्वित हैं कि एक दिन वे पढ़-लिख कर अपने लिए एक बेहतर भविष्य बना पाएँगे।

निष्कर्ष

अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों का जीवन हर दिन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष की कहानी है। शोध में शामिल किए गए सभी मज़दूर हैं। अधिकांश अवैध कोयला मज़दूर अशिक्षित हैं, परंतु यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। उनके बच्चों के लिए पास में सरकारी विद्यालय में पढ़ने की सुविधा तो है, परंतु उन विद्यालयों में आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन संबंधित चुनौतियाँ हैं। वैसे तो ऐसी चुनौतियाँ इस प्रकार के अधिकांश अन्य विद्यालयों में भी संभव हैं, परंतु इससे अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। उनके माता-पिता की आजीविका के कारण उनके विद्यालय के बाहर के वातावरण का शैक्षिक अनुभवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में उनके शैक्षिक अनुभवों एवं अवसरों को समृद्ध करने का बड़ा दारोमदार उनके विद्यालय पर ही है। ऐसे में वे विद्यालय जो उनकी पहुँच में हैं, वहाँ अवसरों को सीमित करने वाला हर एक कारक बच्चों की शिक्षा एवं उनके भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित करता है। अतः यह आवश्यक है कि अवैध रूप से कोयला खनन करने वाले मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रति विद्यालयी पाठ्यचर्या तथा उन्हें शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने वाले विद्यालयों को संवेदनशील बनाया जाए जिससे संविधान द्वारा हर बच्चे को दिए गए जीवन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है।

संदर्भ

अख्तर, एस. 2017. फॉर इल्लीगल कोल मायनर्स इन झारखंड, डेथ इज़ एन एव्रीडे ओक्युपेशनल हैज़र्ड. *यूथ की आवाज़*. 20 अप्रैल, 2018 को https://www.youthkiawaaz.com/2017/02/illegal-coal-mining-in-jharkhand/ से लिया गया.

अरीपरंपिल, एम. 1996. डिसप्लेसमेंट ड्यू टू मायनिंग इन झारखंड. *इकनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*. वॉल्यूम 31, नं. 24. 11/09/2014 को http://www.jstor.org/stable/4404276 से लिया गया.

बैंग, एन. पी. और पूरन सिंह. 2013. 'द अनटोल्ड कोल स्टोरी — झारखंस साइकिल पुलर्स वर्क फ़ॉर ए पिटेन्स? *फ़र्स्ट पोस्ट*. 18 अप्रैल, 2018 को https://www.firstpost.com/india/the-untold-coal-story-jharkhands-cycle-pullers-work-for-a-pittance-1224821.html on से लिया गया.

लहरी-दत्त, के. 1997. अंडरमायनिंग एक्ज़िसटेन्स. *डाउन टू अर्थ*. 12 जुलाई 2013 को http://www.downtoearth.org.in/node/24819 से लिया गया.

लहरी-दत्त, के. और डी. जे. विलियम. 2005. दि कोल साइकल — स्मॉल-स्केल इल्लीगल कोल सप्लाई इन ईस्टर्न इंडिया. *रिसोर्सेज़, एनर्जी एंड डेवलपमेंट.* 2(2), पृ. 93–105. https://crawford.anu.edu.au/pdf/staff/rmap/lahiridutt/JA16_KLD_Williams_Illegal.pdf से लिया गया.

दि कोल-साइकल वालान् ऑफ़ झारखंड, पुशिंग 300 कि.ग्रा. फॉर 30 कि.मी. टू अर्न डीएच 11. 24 दिसंबर, 2017 को https://www.thenational.ae/world/asia/the-coal-cycle-wallahs-of-jharkhand-pushing-300kg-for-30km-to-earndh11-1.376599 से लिया गया.

रवि, एस. एस. 2016. *ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ़ एजुकेशन.* पी.एच.एल. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली.

भारत सरकार. 2017. *कोयला — भारतीय ऊर्जा विकल्प*. 20 नवंबर, 2017 को https://coal.nic.in/hi/content/coal-indian-energy-choice से लिया गया.

भारत सरकार. 2017. *उज्ज्वल भारत 3 वर्ष*. 20 नवंबर, 2017 को https://coal.nic.in/sites/upload_files/coal/files/curentnotices/Ujjwal_Bharat_3_Year_Brochure_Hindi_Web_Version.pdf से लिया गया.

कुमार, पी. 27 मई 2017. *झारखंड — फ़ाइव किल्ड, 20 इंजर्ड ऐज़ इल्लीगल कोल माइन केव्स इन*. 13 अप्रैल 2018 को https://www.hindustantimes.com/ranchi/jharkhand-five-killed-20-injured-as-illegal-coal-mine-caves-in/story-8NnbQXekrkSJ3xdEwARb3I.html से लिया गया.